**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 1993 और 1994 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने जून 1992 के अंत तक उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि के लिए 447.00 करोड़ रुपए के ऋणों का संवितरण किया था ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना प्रणाली से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है । फिर भी, जिन खातों में उपर्युक्त राशि संवितरित की गई उन खातों की संख्या 3,57,592 थी ।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् उस मियाद/अवधि से संबंधित आंकड़े एकत्र नहीं करता है जिसके बाद ऋण संवितरित किए जाते हैं । फिर भी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे 25,000 रुपए तक की ऋण सीमा वाले सभी ऋण आवेदन पत्रों को दो सप्ताह के अंदर-अंदर और 25000 रुपए से अधिक की ऋण सीमा के सभी आवेदन पत्रों को 8 से 9 सप्ताह के अंदर-अंदर निपटा दें । कमजोर वर्गों के प्रस्तावों को उच्च प्राधिकारियों के पास भेजे बिना ऐसे प्रस्तावों को मंजूर करने के विवेकाधिकार शाखा प्रबंधकों को सौंपे जा सकते हैं । कमजोर वर्गों से प्राप्त ऋण प्रस्तावों को शीघ्र ही निपटाना होता है । ग्रामीण शाखा प्रबंधकों को ऋण आवेदन पत्र मंजूर करने की उपयुक्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि अधिकांश ऋण आवेदन पत्र शाखा स्तर पर ही मंजूर किए जायें ।

**ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए ब्लाक**

*4420. **चौधरी हर मोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिए दस ब्लाकों को चुना है,

(ख) यदि हाँ, तो इन ब्लाकों का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन ब्लाकों में प्रायोगिक आधार पर किये गये कार्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और ऐसे कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए 10 ब्लाकों का चयन किया है । ऐसे ब्लाकों के नाम तथा उन राज्यों के नाम जहां वे अवस्थित हैं, नीचे दिए गए हैं :-

| ब्लाक का नाम | राज्य |
|---|---|
| भीमगल | आंध्र प्रदेश |
| गया | बिहार |
| रैत | हिमाचल प्रदेश |
| दानसल | जम्मू व कश्मीर |
| कोठमंगलम | केरल |
| बोरीगुमा | उड़ीसा |
| कृष्णगर्भाल | राजस्थान |
| चौबेपुर | उत्तर प्रदेश |
| पुरूलिया | पश्चिम बंगाल |
| केसला | मध्य प्रदेश |

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1983-84 के दौरान ग्रामीण औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में 10 चयित ब्लाकों में अभिनव प्रयोग करने के लिए प्रायोगिक कार्यक्रम चलाया था । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ब्लाक चयन कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए प्रति ब्लाक वार्षिक सहयोग था । यह कार्यक्रम जून 1991 में पूरा हुआ था । क्योंकि यह महसूस किया गया था कि उस समय तक आत्मनिर्भर विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा । 31-3-93 तक उपर्युक्त वर्णित ब्लाकों में 2187 एककों की स्थापना की गई जिसमें 226.04 लाख रुपये लगाए गए और 5845 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जैसे अन्य अधिकरण अब ब्लाक अंगीकरण कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं ।

**Promotions in Customs Department**

4421. SHRI MOOL CHAND MEENA : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether 'B' Class Officers in Customs Department have been promoted as 'A' Class Officers during the last three years; if so, what is the total number of such Officers ;

(b) what is the number of Officers belonging to Scheduled Tribes promoted during the last three years; and

(c) what are the reasons for effecting promotions from 'B' Class to 'A' Class four times in one year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) During the last three years, 278 Officers were promoted from Group 'B' to Group 'A' of the Indian Customs & Central Excise Service, on ad-hoc basis. Out of these, 66 belong to SC and 10 to ST categories.

(c) Promotions are made on ad-hoc basis on the recommendations of the Departmental Screening Committee which normally meets once a year. Acutal orders of promotions are issued as and when vacancies arise, due to retirement etc. Supplementary meetings of the Departmental Screening Committee are held either due to. court orders, or revision of seniority of officers.

**Violation of Discretionary Powers by Banks**

4422. SHRI PRAMOD MAHAJAN :
SHRI VIREN J. SHAH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether the Department of Banking Operation and Development (DBOD) of the Reserve Bank of India has pointed out in its recent Inspection Report that the loans and credit facilities were given by certain banks without proper assessment of the companies financial position and without adherence to sanction limits ;

(b) if so, what are the details of the Report;

(c) what are the details of loans and credit facilities given by each bank to each company ;

(d) whether any irregularities have been detected by the Reserve Bank of India in this regard and if so, what are the details thereof;

(e) what action has been taken against the officials of each bank for gross violation of discretionary powers and also against peisons/ dompanies involved- in such transactions;- and

(f) what are the details of instructions issued by the Reserve Bank of India in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) to (f) The information is being collected and will be laid on the Table of the House to the extent available and permissible under the Rules.

**Value of Rupee**

4423. SHRIMATI KAMLA SINHA :
DR. BAPU KALDATE :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the existing rupee value against the European currencies as also against the Asian currencies;

(b) what is the extent of the fall in the rupee value since the beginning of 1994 as against the European and Asian currencies ; and

(c) whether with the fall in the rupee value, Government contemplate to devalue the rupee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b) The exchange rate of the rupee against important Asian and European currencies as on December 31, 1993 and April 8, 1994 as also the rate of depreciation/appreciation of the rupee against these currencies are set out in Statement (see below).

(c) Under the unified exchange rate system introduced in March, 1993 the exchange rate of the rupee is determined by the forces of demand and supply in the foreign exchange market rather than by any deliberate policy stance.

**Statement**

*Exchange Rate of the Rupee*

| Sr. No. | Currencies | Rate as on 31-12-93 | Rate as on 8-4-94 | Appreciation (+)/ Depreciation (—1 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Paund Sterling | 46.4450 . | 46.2388 | +0.45 |
| 2. | Deutsache Mark | 18.0863 | 18.3263 | —1.31 |